उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–2
संख्याः —— / XVIII(II) / 2018 / 01(24) / 2011
देहरादूनः दिनांक 03 अक्टूबर, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) की धारा 168 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भूमि के ऐसे टुकड़े के संक्रमण के, जो शून्य हो गया था तथा जिसकी राज्य सरकार के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि नहीं की गयी थी, विधिमान्यकरण के लिए शुल्क को भूमि के वर्तमान सर्किल रेट का 10 प्रतिशत निर्धारित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उक्त शुल्क लेखा शीर्षक–0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियां–08 मालिकाना राजस्व–0806 प्रकीर्ण प्राप्तियां के अधीन जमा की जायेगी। विधिमान्यकरण हेतु आवेदन पत्र दिनांक 25–04–2019 तक परगना के प्रभारी सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। भूमि का मूल्य वही होगा जो कलेक्टर द्वारा स्टाम्प शुल्क के लिए अवधारित किया गया हो।

(विनोद प्रसाद रतूड़ी)
सचिव (प्रभारी)।

पृष्ठांकन संख्या 1326 (1) / XVIII(II) / 2018 / 01(24) / 2011, तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के सज्ञानार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल / गढवाल मण्डल, पौडी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. निदेशक, राजकीय प्रेस रूडकी को इस आशय से कि उपरोक्त अधिसूचना को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुये अधिसूचना की 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(बी0एम0 मिश्र)
अपर सचिव।